

FORM NO. III

APP-A

फर्द अहकाम

crim-I

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राज0)

भोहनपाल बनाम तटसीलदार
 किस्म मुकदमा नं. 96/10/23 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13.6.23	वाद पत्र/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 IR Act द्वारा वकील श्री शेकलाल शर्मा पेश किया गया। सरिस्ता रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु तलब किया जाकर दिनांक 1.8.23 को पेश हो।	
1.8.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय वॉरे/ अधकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 9.10.23 को पेश हो।	
9/10/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय वॉरे/ अधकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 6.12.23 को पेश हो।	
6.12.23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित है। श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय वॉरे/ अधकाश/अन्य राजकार्य में तशरीफ रखते है। पत्रावली दि 7.2.24 को पेश हो।	
7.2.24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपवर्द्धे अप्रार्थी का नोटिस बाद तामील संलग्न है। परोकार सरकार उपस्थित है। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में सीमाज्ञान की रिपोर्ट का अभाव है। सीमाज्ञान के बिना पट्टरगढ़ी का यह अध्यापन विचारणीय नहीं।	



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवां, जिला बून्दी (राजस्थान)

न्यायालय

हुकम

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहकाम हुकम की में जारी
------------	------------------------------	---------------------------------------

है अतः न्यायालय इस आदेश को जैरकर
रखना उचित नहीं समझता है अतः अपील
का उत्तरना पत्र बास्ते पक्षरगदी खारिज
किया जाता है निर्णय खुले न्यायालय
में सुनाया गया। पत्रवली बाद तकमील
दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)